मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग – दो

<u>बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2026 (माघ 29, 1947)</u>

<u>कटौती प्रस्ताव की सूचनाएं</u>

सभा में की गई घोषणा के अनुसार सदस्यों द्वारा वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनायें, बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2026 को सायंकाल 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं।

कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के निम्नांकित नियमों की ओर आकर्षित किया जाता है :-

''नियम 154 (3) सदस्य द्वारा मांग विशेष के लिए नीति निरनुमोदन कटौती, मितव्ययिता कटौती अथवा सांकेतिक कटौती के <u>प्रस्ताव की चार से अधिक सूचनाएं नहीं दी जाएंगी''</u>

''नियम 154 – क. मांग की राशि कम करने की सूचना ग्राह्य हो सके, इसके लिए वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :-

1. उसका संबंध केवल एक मांग से होगा,
2. वह स्पष्टत: व्यक्त की जाएगी और उसमें प्रतर्क, वर्णन, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप, विश्लेषण, मानहानिकारक कथन नहीं होंगे,
3. वह एक ही विशिष्ट विषय तक सीमित रखी जायेगी, उसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जायेगा,
4. उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जाएगी, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो,
5. उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिये सुझाव नहीं दिये जायेंगे,
6. वह ऐसे विषय का निर्देश नहीं करेगी, जो मुख्यत: मध्यप्रदेश सरकार का विषय न हो,
7. उसका किसी ऐसे व्यय से संबंध नहीं होगा, जो कि मध्यप्रदेश की संचित निधि पर भारित हो,
8. उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा, जो मध्यप्रदेश के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो,

क्रमश.............

9. उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा,

10. उसमें ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो और जिस पर विनिश्चय किया जा चुका हो,

11. उसमें उस विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो,

12. उसमें साधारणतया ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठाई जायेगी जो कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के किसी विषय की जाँच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जाँच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो,

परन्तु अध्यक्ष के स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जाँच की प्रक्रिया प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि ऐसे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जाँच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है और

13. उसका संबंध तुच्छ विषय से नहीं होगा।''

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.